राजस्थान – सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान–अजमेर

क्रमांक प.1 / प्रति.(सूकाअ) / परिपत्र / 2017–18 / दिनांक

1. समस्त उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान।
2. व्यवस्थापक राज. आयुर्वेद रसायनशालाऐं, अजमेर।
3. प्राचार्य राज.आयु.नर्स / कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
4. समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी राज. आयुर्वेद रसायन शाला, राजस्थान।

विषय : राजस्थान सूचना आयोग में अपीलों की सुनवाई के दौरान राज्य लोक सूचना अधिकारियों को आवश्यक रुप से उपस्थित होने बाबत।
प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.29(29) आयु. / 2015 विविध दिनांक 05.04.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक प.11(1)प्रसु / सूअप्र / 2015 जयपुर दिनांक 05.02.2015, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2016 एवं प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र 23.02.2017 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग में राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि अपील सुनवाई के समय आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, लेकिन राज्य सूचना आयोग से बार–बार नोटिस जारी होने के उपरान्त भी सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं। जिसके कारण आयोग में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का वास्तविक कारण प्रस्तुत नहीं हो पाता है। जिसके फलस्वरुप राजस्थान सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर दी जाती है। अतः समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना आयोग में अपीलों / परिवादों में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाता है, एवं दिये गये संलग्न परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डा. प्रकाश शर्मा)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद)

क्रमांक प.1 / प्रति.(सूकाअ) / परिपत्र / 2017–18 / 7220-68 **दिनांक** 11-4-17

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
5. सहायक प्रोग्रामर आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. सामान्य पत्रावली।

(डा. प्रकाश शर्मा)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद)

(592)